न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मु.नं.-179/2019
उनवान जतेर कँवर वगैरा बनाम देवी सिंह वगैरा

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
08-1-2021 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप०। वकील वादीगण ने एक प्रा०पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 4 की मृत्यु हो चुकी है एवं उक्त प्रतिवादी सं. 4 के विधिक वारिसान प्रतिवादी सं. 5 ता 8 पूर्व से ही हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी पक्षकार नियत है। अतः प्रतिवादी सं. 4 का नाम हजफ करने के आदेश प्रदान करें।	
पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रतिवादी सं. 4 के विधिक वारिसान मुताबिक वकील वादीगण पूर्व से ही प्रकरण में प्रतिवादी सं. 5 ता 8 पक्षकार है। अतः प्रतिवादी सं. 4 की वकील वादीगण द्वारा प्रदत्त की गयी फौतगी की सूचना के आधार पर प्रतिवादी सं. 4 "बजरंग सिंह पुत्र हरलालसिंह" का नाम पत्रावली से हजफ किया जाता है।	
पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सं. 9 की तामिल सम्यक रूप से होकर लौटी है। अतः प्रतिवादी सं. 9 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। तत्पश्चात प्रकरण में बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। वरवक्त बहस वकुलाय उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया।	सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला
पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एवं तस्दीकशुदा राजीनामा एवं ईकबाली बयान का अवलोकन किया गया। चूंकि विवादित पक्षकारों द्वारा राजीनामा व ईकबाली बयान पेश किया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	जा चुका है जिसे न्यायालय द्वारा तस्दीक भी किया जा चुका है। अतः वादि वादिगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। राजीनामा दिनांकित 09.12.2019 डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक राजीनामा दिनांकित 09.12.2019 राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार प्रकरण में पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 08-1-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/1/2021

(राकेश कुमार)
RAS
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) खण्डेला (सीकर)

06